(159)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2784-दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 22-08-2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, चाचौड़ा जिला गुना, प्रकरण क्रमांक 2/अ-70/2013-14.

लक्ष्मण पुत्र रामप्रसाद
निवासी बीनागांव जिला गुना

.....आवेदक

विरूद्ध

हरीसिंह पुत्र रामप्रसाद
निवासी बीनागांव
हाल निवासी कुम्भराज,
तहसील कुम्भराज जिला गुना

.....अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री मनीष शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आदेश ::

(आज दिनांक 27/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, चाचौड़ा जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-08-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार परगना चाचौड़ा जिला गुना के समक्ष संहिता की धारा 250(1) के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि सर्वे क्रमांक 116, 157/1, 190/2, 277 कुल रकबा 0.215 हेक्टेयर शामिलाती भूमि है, जिसका बंटवारा होने पर अनावेदक के हिस्से में सर्वे क्रमांक 190/2/2 रकबा 0.043 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 277 रकबा 0.042 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 157/1/2 रकबा 0.012 हेक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। अनावेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक एवं अनय के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, अत: प्रश्नाधीन

भूमि का कब्जा वापिस दिलाया जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/अ-70/2012-13 दर्ज कर दिनांक 17-02-14 को आदेश पारित कर आवेदक पर 10,000/- रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए कब्जा हटाने तथा आवेदक द्वारा आदेश का पालन नहीं किये जाने पर आवेदक के विरूद्ध सिविल जेल की कार्यवाही के लिए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजने के निर्देश दिये गये। आवेदक द्वारा आदेश का उल्लंघन किये जाने पर तहसीलदार द्वारा सिविल जेल की कार्यवाही हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, चाचौड़ा की ओर भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ-70/2013-14 दर्ज कर दिनांक 22-08-2014 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) पटवारी द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 190/2/2 रकबा 0.043 हेक्टेयर रिक्त होकर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा नहीं है, सर्वे क्रमांक 277/1 रकबा 0.043 हेक्टेयर पर अनावेदक का कब्जा है एवं सर्वे क्रमांक 157/1/2 रकबा 0.012 हेक्टेयर पर फसल खड़ी होना पाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अंतिम पेज पर भी इसी आशय के निष्कर्ष निकाले गये हैं। इस आधार पर कहा गया कि पटवारी रिपोर्ट पंचनामा में प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा आवेदक का नहीं पाया गया है, तब ऐसी स्थिति में आवेदक को सिविल जेल भेजे जाने का आदेश पारित करना अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 4/अ-70/12-13 में पारित आदेश दिनांक 17-02-2014 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17-06-2014 को निरस्त की गई, जिसके विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा नवीन प्रकरण क्रमांक 2/अ-70/2013-14 दर्ज कर सिविल जेल भेजे जाने के जो आदेश दिये गये हैं, वह निरस्त किये जाने योग्य हैं, क्योंकि पूर्व से एक प्रकरण प्रचलित है, तब दूसरा प्रकरण अलग से पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता है और न ही कोई कार्यवाही की जा सकती है।

(3) सर्वे क्रमांक 190/2/2, सर्वे क्रमांक 277/1 पर आवेदक का कब्जा नहीं है तथा सर्वे क्रमांक 157/1/2 का रकबा 0.012 हेक्टेयर, जो कि कृषि योग्य भूमि नहीं है, क्योंकि 25-50 के प्लांट पर खेती नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 250 के तहत कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना विचार किये जो आदेश पारित किया गया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) उभय पक्ष सगे भाई हैं और भूमि का बाहमी विभाजन हुआ है, इस तथ्य को नजरअंदाज कर आदेश पारित किया गया है। यदि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त नहीं

(5) किया गया तो आवेदक को जेल भेज दिया गया जिससे परिवार का भरण-पोषण असंभव होकर, उसका परिवार बिखर जायेगा, जिस कारण उसे अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है, जिस पर आवेदक द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अनावेदक की प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा होना अपने कथनों में स्वीकार किया है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विस्तार से विवेचना करते हुए विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है। इस आधार पर कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक की प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाये जाने पर तहसीलदार द्वारा आवेदक पर अर्थदण्ड अधिरोपित कर प्रश्नाधीन भूमि से सात दिवस के अंदर अवैध कब्जा नहीं हटाये जाने पर सिविल जेल की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं। आवेदक द्वारा तहसीलदार के उक्त आदेश को चुनौती नहीं देते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही सिविल जेल संबंधी कार्यवाही के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो कि तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 17-02-2014 का पालन न करने के अनुक्रम में की जा रही अग्रिम कार्यवाही है, जिसमें कोई अनियमितता नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, चाचौड़ा जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-08-2014 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर